उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति

(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–2011 (यथा–संशोधित) में निहित प्रावधानानुसार चयन वर्ष–2024 के अन्तर्गत रिक्त 312 पदों के सापेक्ष पात्र 01 कार्मिक की विभागीय लिखित परीक्षा/सेवाभिलेखों के मूल्यांकन के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी के पद पर श्रेष्ठताक्रम में चयन के सम्बन्ध में दिनांक 13–02–2025 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में आपत्ति का आमंत्रण।

संख्या–पीआरपीबी–चार–15–(07)–2024 दिनांक–फरवरी 18 , 2025

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी के 312 रिक्त पदो के सापेक्ष पात्र 01 कार्मिक की विभागीय लिखित परीक्षा/सेवाभिलेखों के मूल्यांकन के आधार पर श्रेष्ठताक्रम में चयन हेतु प्रथम चरण की लिखित परीक्षा **दिनांक 13–02–2025** को सम्पन्न हो चुकी है। कार्मिक की प्रश्न–पुस्तिका, सीरीज के अनुसार उत्तर कुंजी, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का पार्ट–ए एवं पार्ट–बी की प्रतिकृति (Image) बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर प्रदर्शित कर दी गयी है। कार्मिक उक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर जाकर उस पर दिये गये फील्ड्स पर अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि भरकर अपने प्रश्न–पुस्तिका, सीरीज के अनुसार उत्तर कुंजी, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं पार्ट–तृतीय की प्रतिकृति (Image) देख सकते है।

2– बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न–पुस्तिका, सीरीज के अनुसार उत्तर कुंजी, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं पार्ट–तृतीय की प्रतिकृति (Image) का कार्मिक सावधानीपूर्वक अवलोकन कर लें। प्रदर्शित की गयी उपरोक्त सूचना/अभिलेखों तथा प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो कार्मिक वांछित प्रमाण/अभिलेख निर्धारित स्थान पर अपलोड करते हुए आपत्ति दर्ज करा सकता है। कार्मिक द्वारा उक्त वेबसाइट पर दर्ज की गयी आपत्ति ही मान्य होगा अन्य किसी भी माध्यम से की गयी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।

3– कार्मिक अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से **दिनांक 21–02–2025 को अपरान्ह 15.00 बजे तक** दर्ज करा सकता है। एक बार आपत्ति दर्ज कराने के बाद कार्मिक पुनः कोई आपत्ति दर्ज नही करा सकता है। अतः कार्मिक से अपेक्षा की जाती है कि कोई आपत्ति दर्ज कराने के पूर्व वह सावधानीपूर्वक अपनी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं पार्ट–तृतीय की प्रतिकृति एवं प्रश्न–पुस्तिका नम्बर तथा उत्तर कुंजी की जॉच कर ले। साथ ही दर्ज करायी गयी आपत्ति का विवरण अपने अभिलेखों के लिए प्रिन्ट कर अपने पास अवश्य रख ले।

4– लिखित परीक्षा के प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति परीक्षणोपरान्त सही पायी जाती है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया रिट याचिका संख्या–2669/2009(एम0बी0) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में कार्मिक की कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो यह माना जायेगा कि कार्मिक को प्रश्न पुस्तिका सीरीज, प्रश्नों, उनके उत्तर विकल्पों, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं पार्ट–तृतीय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है और उक्त क्रम में संगत सेवा नियमावली के अनुसार अग्रिम अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

5– यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नही होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार नही किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

18/2/25

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
लखनऊ।